No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 17.09.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. All Secretaries to the Govt. of India
3. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
5. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF AUGUST, 2019

(1) **Notifications**:-

(i) A notification vide S.O. 2947 (E) was issued on 14th August, 2019 through which the provisions of sections 6, 7 and 8, clauses (i),(iii) and clause (iv) of section 14, section 20, section 31, sections 33, 34 and 35 and sections 37 and 38 of the Companies (Amendment) Act, 2019 have been brought into force w.e.f. 15th August, 2019. Accordingly, such new provisions included in the Companies Act, 2013 to strengthen good corporate governance and compliance framework enshrined in such Act have been brought into force.

(ii) A notification vide G.S.R 574(E) was issued on 16th August, 2019 by the Ministry for amending the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and accordingly, the Rule 4 (Equity Shares with Deferential Voting Rights), Rule 5 (Certificate of Shares [where shares are not in demat form], Rule 12 (Issue of Equity Stock Options) and Rule 18 (Debenture) have been amended.

(iii) A notification vide G.S.R. 603(E) was issued on 28th August, 2019 for amending the Companies (Incorporation) Rules, 2014 for substituting the forms RD-1 (Form for filing application to Regional Director) and RD GNL-5 (Form for filing addendum for rectification of defects or incompleteness).

(iv) A notification vide S.O. 3119(E) was issued on 28th August, 2019 for amendments in the earlier notification no. S.O.1796(E), dated 18th May, 2016 by substituting the entries "State of Maharashtra" with the entries "Whole State of Maharashtra except Pune, Ahmednagar, Kolhapur, Solapur, Satara, Sangli, Ratnagiri and Sindhudurg districts of the State of Maharashtra" in the Table, against Serial number 2, in column (3).

(v) A notification vide S.O. 3120(E) was issued on 28th August, 2019 in supersession of the earlier notification no. S.O.2564(E), dated 17th July, 2019 for designation of Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Pune for the districts of Pune, Ahmednagar, Kolhapur, Solapur, Satara, Sangli, Ratnagiri and Sindhudurg of the State of Maharashtra.

(2) **CIRCULARS**:-

A General Circular was issued on 21.08.2019 clarifying doubts/ambiguities with regard to "Appointed Date" referred to in section 232(6) of the Companies Act, 2013. The clarification was necessary to bring harmony in practices in ascertaining the "appointed date" relating to schemes of mergers/ amalgamations and provide clarity on the accounting treatment. Accordingly, the requests made by the stakeholders for issue of clarification on this matter have been addressed. (General Circular No.09/2019 dated 21.08.2019).

(3) The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill, 2019 has been passed by the Parliament and notified on 16.08.2019. The amendment seeks to fill critical gaps in the corporate insolvency resolution framework as enshrined in the Insolvency and Bankruptcy Code (Code) and remove certain doubts and ambiguities that have arisen in order to ensure desired outcomes of the Code.

A meeting of Insolvency Law Committee was held on 29 August, 2019 wherein the issues related to Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), issues in Personal Insolvency and introduction of enabling provision for Mediation in the Code were discussed.

(4) The Commission has received three (03) new cases u/s 19 of the Competition Act, 2002 for alleged violation of S.3 & 4 during the month of August, 2019. With this, the total number of cases filed up to August, 2019 stands at 1030 and out of which 867 cases have been decided.

(5) The Commission received six (06) notices u/s 6(2) of the Act pertaining to combinations during August, 2019. Out of these, 684 cases have been disposed of within stipulated time and 10 cases are under consideration of the Commission.

(6) CCI imposed a penalty of nearly Rs.14 crore on Jaiprakash Associates for abusing its dominant market position by imposing "unfair" and "discriminatory" conditions on home buyers. CCI also imposed a penalty on 51 vendors for cartelization in the bidding process in supplying LPG Gas Cylinder to Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) which is in contravention with provision of Section 3 of the Act.

(7) During the month of July 2019, Competition Commission of India Completed ten (10) years of Competition Law Enforcement on 23rd August, 2019. A formal function was held wherein Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs and Hon'ble Minister of State for Finance and Corporate Affairs addressed as Chief Guests.

(8) The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) in association with Society of Insolvency Practitioners of India (SIPI), launched the Insolvency Research Foundation (IRF) inaugurated by the Honourable Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu on 2nd August, 2019 at the Vice President House. The occasion was also graced by Shri Anurag Thakur, Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri S. J. Mukhopadyay, Former Judge, Supreme Court of India and NCLAT, Dr. M.S. Sahoo, Chairperson, IBBI and other senior dignitaries.

(9) A two-day Orientation Program of Batch V of ICP in CSR was held on August 29-30, 2019 at IICA Manesar. The two day program witnessed the representation of candidates from IOL, FIAT, Indusind Bank, CII, UNICEF etc. A total of 38 candidates from PAN India participated in the two day program.

(10) NFCSR recently concluded an impact assessment study for the CSR project RISE initiated by Agriculture Insurance Company of India Limited. Project RISE proposes to cover underprivileged and deprived children in backward villages in Delhi. This study was an Impact Assessment research study as it is designed to assess the outcomes and impacts of an intervention, with focus on deriving a holistic view from the targeted beneficiaries of the project and to see how these initiatives of the company have helped the local children in improving their educational standards.

(11) NFCSR has been requested to conduct a Baseline and Need Assessment Study in Delhi in order to identify 10 disadvantaged villages for the prospective CSR interventions of AICL. The Study by NFCSR is undergoing which is a systematic approach for comprehending the "gaps" between the existing scenario and what is deemed as an ideal scenario as per the national standards on the basis of indicators of SDGs, MPIs and other micro level indicators based on the thematic and project area, such as (unemployment level, infant mortality, child nutrition, school enrolment, etc). The discrepancy between the existing scenario and the needs will be measured against measurable parameters to be able to identify and establish the CSR projects accordingly.

(12) The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) in association with Nation Foundation for Corporate Governance (NFCG) concluded a two day workshop on "Orientation program for Independent Directors" in Mumbai on 2-3 August 2019. Also, The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) with Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) concluded a two day program on ""Teamwork Competency for High Performance"" on 26-27 August 2019 in Mumbai.

(13) School of Finance conducted 5-day training programme on Corporate Affairs with 16 Indian Posts & Telecommunication Accounts and Finance Services (IP&TAFS,

Group 'A') Probationers from August 05-09, 2019 at IICA. The training was designed to provide significant expertise on contemporary issues related to emerging discipline of "Corporate Affairs" like Indian Companies Act 2013, Insolvency and Bankruptcy Provisions, Key Governance Provisions with focus on government nominee directors & independent directors, Block chain and crypto currency, Indian Accounting Standards, Corporate Social Responsibility, Competition law with reference to telecom and ICT Sector, Financial Statement Analysis and Valuation etc. Also, School of Finance, IICA, successfully conducted 5-day training program on Public Private Partnerships (PPP) for 23 Gujarat Government Officers from August 26-30, 2019 at IICA.

(14) During the Swachhta Pakhwada from 16.08.2019 TO 31.08.2019, IICA executed the several activities which includes cleaning of road in the Campus, removal of unwanted bushes, Essay Competition on topic of "innovative Ideas for New India-Making India Clean & Green", Swachhta Pledge, extensive cleaning of 14 acre campus, organizing a talk on "Occupational cleanliness and Personal Hygiene", Sharamdhan by the officers, plantation and adoption of plants by the officers of the IICA, etc.

(15) FIT INDIA MOVEMENT WAS OBSERVED ON 29.08.2019 BY IICA: This movement particularly aims to encourage to inculcate physical activity and sports in everyday lives. Keeping this into consideration, IICA conducted a 5 km walk within the campus and a yoga session was also performed by the yoga Expert and the staff/officials of IICA.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 17 .09.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अगस्त, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

हेव

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, अनुलग्नक सहित, प्रेषित:

1. निदेशक, केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार के सभी सचिव
3. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
4. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
5. निदेशक (एके) - एमसीए की सरकारी वेबसाइट पर इस सूचना को अपलोड करने हेतु।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अगस्त, 2019 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

(1) **अधिसूचनाएं:-**

(i) दिनांक 14 अगस्त, 2019 को अधिसूचना संख्या का.आ.2947(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसके माध्यम से कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 6, 7 और 8, धारा 20 के खंड (i), (iii) और धारा 14 के खंड (iv), धारा 20, धारा 31, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 37 और धारा 38 दिनांक 15 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त किए गए। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 में बेहतर कारपोरेट शासन को सुदृढ बनाने के लिए ऐसे नए प्रावधान शामिल किए गए और ऐसे अधिनियम में स्थापित अनुपालन ढांचे को प्रवृत्त किया गया।

(ii) मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2019 को कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन हेतु सा.का.नि.574(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और तद्नुसार, नियम 4 (डेफरेनशियल मतदान अधिकारों सहित साम्या शेयर), नियम 5 (शेयरों का प्रमाणपत्र [यदि शेयर डिमैट रूप में न हो]), नियम 12 (साम्या स्टॉक विकल्प जारी करना) और नियम 18 (डिबेंचर) संशोधित किए गए।

(iii) दिनांक 28 अगस्त, 2019 को कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के संशोधन हेतु सा.का.नि.603(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे प्रपत्र आरडी-1 (क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन दायर करने हेतु प्रपत्र) और आरडी जीएनएल-5 (चूक या असंपूर्णता के संशोधन हेतु परिशिष्ट दायर करने के लिए प्रपत्र) प्रतिस्थापित किए जा सके।

(iv) दिनांक 28 अगस्त, 2019 को का.आ.3119(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे 18 मई, 2016 की पूर्व अधिसूचना संख्या का.आ.1796(अ) की सारणी के कॉलम (3) के संख्या 2 में "महाराष्ट्र राज्य" प्रविष्टि को "महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमद नगर, कोलापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों के अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित करने के माध्यम से संशोधन किया जा सके।

(v) दिनांक 28 अगस्त, 2019 को महाराष्ट्र राज्य के पुणे, अहमदनगर, कोलापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए जिला न्यायाधीश-1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय पुणे को पदनामित करने हेतु दिनांक 17 जुलाई, 2019 की पूर्व अधिसूचना का.आ.2564(अ) का अधिक्रमण करते हुए का.आ.3120(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।

2. **परिपत्र:-**

दिनांक 21.08.2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232(6) में संदर्भित "नियत तारीख" के संबंध में संदेह/अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया। यह स्पष्टीकरण विलयन/समामेलन योजनाओं से संबंधित "नियत तारीख" स्थिर करने में सामंजस्य लाने और इसमें स्पष्टता लाने के उद्देश्य से आवश्यक था। तद्नुसार, हितधारकों द्वारा इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी करने के अनुरोध का भी समाधान किया गया। [सामान्य परिपत्र संख्या 9/2019 दिनांक 21.08.2019]

3. संसद द्वारा दिनांक 16.08.2019 को दिवाला एवं शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर अधिसूचित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संहिता) में स्थापित कारपोरेट दिवाला समाधान ढांचे की महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना है और संहिता के अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठने वाले कतिपय संदेह और अस्पष्टताओं को दूर करना है।

दिनांक 29 अगस्त, 2019 को दिवाला विधि समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), निजी दिवाला संबंधी मुद्दों और संहिता में मध्यस्थता हेतु प्रावधान प्रवृत्त करने से संबंधित मामलों पर विचार किया गया।

4. आयोग ने अगस्त, 2019 के दौरान प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अधीन एस.3 और 4 के कथित उल्लंघन हेतु तीन (03) नए मामले प्राप्त किए हैं। इसके साथ, अगस्त, 2019 तक दायर किए गए मामलों की कुल संख्या 1030 हो गई है और इसमें से 867 मामलों पर निर्णय ले लिया गया है।

5. आयोग ने अगस्त, 2019 के दौरान अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन संयोजन से संबंधित छह (06) नोटिस प्राप्त किए हैं। इनमें से 684 मामलों का निपटान नियत समय के भीतर कर दिया गया है और 10 मामले आयोग के विचाराधीन हैं।

6. सीसीआई ने जयप्रकाश एसोशिएट पर घर क्रेताओं के प्रति "अनुचित" और "भेदभावपूर्ण" परिस्थिति तैयार करने के माध्यम से बाजार में प्रभुत्व स्थिति का दुरूपयोग करने के कारण लगभग 14 करोड़ रुपये की शास्ति लगाई गई। सीसीआई ने 51 विक्रेताओं पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने के लिए बोली लगाने में गुटबंदी करने के कारण भी शास्ति लगाई है, जो अधिनियम की धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन है।

7. अगस्त, 2019 के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 23 अगस्त, 2019 को प्रतिस्पर्धा विधि प्रवर्तन के दस (10) वर्ष पूरे किए हैं। एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें माननीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री और माननीय वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

8. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने भारतीय दिवाला व्यवसायिक सोसायटी (एसआईपीआई) के सहयोग से दिवाला अनुसंधान संगठन (आईआरएफ) का लोकापर्ण किया और इसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेयानायडु ने 02 अगस्त, 2019 को उपराष्ट्रपति भवन में किया। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर, वित्त एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री एस.जे. मुखोपाध्याय, भारत के उच्चतम न्यायालय और एनसीएलएटी पूर्व न्यायाधीश, डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

9. दिनांक 29-30 अगस्त, 2019 को आईआईसीए मानेसर में सीएसआर के आईसीपी के बैच V के दो दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में आईओएल, फियाट, इंडसइंड बैंक, सीआईआई, यूनिसेफ आदि के प्रतिभागियों ने प्रतिनिधित्व किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में समस्त भारत से कुल 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

10. एनएफसीएसआर ने हाल ही में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजना राइज के लिए प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया है। राइज परियोजना में दिल्ली के पिछड़े गांवों में सुविधाओं से वंचित एवं गरीब बच्चों के लिए कार्य करने का प्रस्ताव है। यह अध्ययन प्रभावी मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययन था क्योंकि इसे किसी व्यवधान के परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य परियोजना के लक्षित लाभकारियों से समग्र विचार प्राप्त करना और यह देखना है कि कंपनी की इन पहलों ने किस प्रकार स्थानीय बच्चों के शैक्षणिक मानदंड को बेहतर बनाने में मदद की है।

11. एनएफसीएसआर को दिल्ली में एआईसीएल के भावी सीएसआर व्यवधानों के लिए 10 पिछड़े गांवों की पहचान करने के उद्देश्य से एक बेसलाइन और आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। एनएफसीएसआर का अध्ययन चल रहा है जो विद्यमान परिस्थिति और एसडीजी, एमपीआई और अन्य विषय क्षेत्र संबंधी और परियोजना क्षेत्र अर्थात् (बेरोजगारी स्तर, शिशु मृत्यु दर, बच्चों के पोषण, विद्यालय में नामांकन आदि) के आधार पर अन्य लघु स्तर संकेतकों के आधार पर राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार आदर्श परिस्थिति के बीच "कमियों" को कम करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण है। विद्यमान परिस्थिति और आवश्यक परिस्थिति के बीच अंतर को उचित मानदंडों के अनुसार आंका जाएगा जिससे उसके अनुसार सीएसआर परियोजनाओं की पहचान करने और उसे स्थापित करने में आसानी होगी।

12. दिनांक 02-03 अगस्त, 2019 को मुंबई में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने राष्ट्रीय कारपोरेट शासन संगठन (एनएफसीजी) के सहयोग से "स्वतंत्र निदेशकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम" संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। साथ ही भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 26-27 अगस्त, 2019 को मुंबई में भारतीय परमाणु शक्ति निगम (एनपीसीआईएल) के साथ "उच्च प्रदर्शन हेतु टीमवर्क सक्षमता" संबंधी दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया।

13. स्कूल ऑफ फाइनेंस ने आईआईसीए में कारपोरेट कार्य पर 16 भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्तीय सेवा (आईपीएवं टीएएफएस, समूह 'क') के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 5-9 अगस्त, 2019 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण "कारपोरेट कार्य" के उभरते हुए विषयों से संबंधित समकालीन मुद्दों पर दक्षता उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013, दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रावधान, सरकार के नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों पर केंद्रित प्रमुख शासन प्रावधान, ब्लॉक चेन और क्रीप्टों करेंसी, भारतीय लेखामानकों, कारपोरेट सामाजिक जवाबदेही, दूरसंचार और आईसीटी से संदर्भित प्रतिस्पर्धा कानून, वित्तीय विवरण विश्लेषण और मूल्यांकन इत्यादि। साथ ही स्कूल ऑफ फाइनेंस, आईआईसीए ने 26-30 अगस्त, 2019 तक गुजरात सरकार के 23 अधिकारियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

14. दिनांक 16 अगस्त, 2019 से 31 अगस्त, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आईआईसीए ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें परिसर में सड़क की सफाई और अनावश्यक झाड़ियों की कटाई, "नव भारत - भारत को साफ सुथरा और हरा-भरा बनाने के लिए नवीन विचार" विषय पर निबंध

प्रतियोगिता का आयोजन, स्वच्छता प्रतियोगिता, 14 एकड़ के विस्तृत परिसर की सफाई, "व्यावसायिक स्वच्छता एवं व्यक्तिगत सफाई" पर संगोष्टी का आयोजन करना, अधिकारियों द्वारा श्रम दान, आईआईसीए के अधिकारियों द्वारा पौधारोपड़ इत्यादि शामिल है।

15. आईआईसीए द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2019 को **फिट इंडिया आंदोलन चलाया गया**: इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईआईसीए ने परिसर के भीतर 5 किलोमीटर 'वॉक' का आयोजन किया और योग विशेषज्ञों और आईआईसीए के स्टॉफ/कर्मचारियों द्वारा योग सत्र का भी आयोजन किया गया।

*****